न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 10/2016
दायर दिनांकः 01.06.2016
निर्णय दिनांक 13.01.2025

—: अनवान :—

श्री हिम्मत सिंह पिता श्री नवलसिंह जी जाति राजपूत उम्र 38 वर्ष, निवासी उमठी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज0) **— प्रार्थी/निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत पिपलांत्री जरिये सरपंच/सचिव महोदय, ग्राम पंचायत पिपलांत्री, तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्रीमती समन्दर बाई पत्नी कान सिंह जी, जाति राव आयु 57 वर्ष, निवासी उमठी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज0) **— गैर निगराकार**

निगरानी याचिका पट्टा क्रमांक 1 दिनांक 10.12.1995 द्वारा ग्राम पंचायत पीपलान्त्री को निरस्त कराने बाबत् ।

उपस्थितः—

1— श्री श्यामसुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार
2— श्री अब्दुल हकिम चुड़ीघर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 अनु0
3— श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकर ने निगरानी याचिका पट्टा क्रमांक 01 दिनांक 10.12.1995 द्वारा ग्राम पंचायत पीपलान्त्री को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत पिपलांत्री पंचायत समिति राजसमन्द में विपक्षी सं0 2 के पति कानसिंह पिता चतर सिंह जी राव वर्षों तक प्रभाशाली वार्ड पंच रहे है तथा विपक्षी सं0 2 वर्तमान में ग्राम पंचायत पिपलांत्री की वार्ड पंच है तथा गांव उमठी की ठिकानेदार होकर धनाढय व्यक्ति तथा इनके नाम से 2—3 खनन लीज भी स्वीकृत करा रखी है तथा, उच्च आय वर्ग का व्यक्ति है। विपक्षी सं0 2 के पति ने ग्राम उमठी, तहसील राजसमन्द ने अपने प्रभाव का नाजायज लाभ उठा रूप से सरकारी एवं सार्वजनिक नाडी तथा कुंए की भूमियों पर अवैद्य रूप से अतिक्रमण करता रहता है। ग्राम उमठी में उक्त पट्टा सार्वजनिक कुएं की भूमि पर स्थित है तथा इस कुंए पर सम्पूर्ण ग्रामवासी पानी भरते व मवेशियों के लिए कुण्डी बनी हुई जिसमें वे पानी पीते

न्यायालय जिला कलक्टर

थे। इस प्रकार यह कुंआ सम्पूर्ण ग्रामवासियों के लिए पेयजल स्त्रोत था। माह अप्रैल 2016 में प्रार्थी निगराकार ने ग्राम उमठी के सार्वजनिक कुंए की भूमि के संबंध में जानकारी की तथा सूचना के अधिकार में ग्राम पंचायत से इस सार्वजनिक कुंए के संबंधित दस्तावेज निकलवाये तो जाहिर आया कि विपक्षी सं0 2 व उसके पति ने विपक्षी सं0 1 से मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा करते हुए उपरोक्त पट्टा गलत आधारों पर नियम 266 रा0पं0 व न्याय उप0 सं0 नियम 1961 के अन्तर्गत आबादी भूमि का हस्तान्तरण के अन्तर्गत गलत रूप से स्वयं की भूमि बताते हुए गलत पट्टा जारी किया जिसके संबंध में निगराकार निम्न आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की कि विपक्षी सं0 1 द्वारा विपक्षी सं0 2 के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टा जारी करने में विधितः एवं तथ्यतः भूल की है। विपक्षी सं0 2 के पति कानसिंह काफी वर्षों से लगातार ग्राम पंचायत पिपलांत्री का प्रभावशाली वार्ड पंच रहा है तथा गांव उमठी का ठिकानेदार होकर मार्बल खनन क्षेत्र में काफी खनन लीज का मालिक है। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विपक्षी सं0 2 जो वार्ड पंच कानसिंह की पत्नी है, के नाम पट्टटा जारी कराया है। विपक्षीगणों ने मिलीभगत कर ग्राम पंचायत उमठी की किस्म सार्वजनिक कुंए की भूमि स्वयं की निजी भूमि बताते हुए पट्टा जारी करा लिया जो कि कानूनन गलत होकर अवैद्य है। विपक्षी सं0 1 का सार्वजनिक कुंए की भूमि के संबंध में पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। कानूनन इस भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। पट्टा नियम 266 रा0पं0 एवं न्याय उप0 सं0 नियम 1961 के अन्तर्गत (आबादी भूमि का हस्तान्तरण) जारी करना बताया है जिसके तहत सार्वजनिक कुंए की भूमि पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है। विपक्षी सं0 2 सम्पन्न धनाढय परिवार की सदस्या है, विपक्षी सं0 2 का पति काफी वर्षों से वार्डपंच ग्राम पंचायत पिपलांत्री का रहा है तथा विपक्षी सं0 2 के पति के 3–4 मार्बल खनिज की लीजें स्वीकृत है, विपक्षी सं0 2 कमजोर वर्ग की सदस्या नहीं है। विपक्षी सं0 2 का प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। विपक्षी सं0 1 ने वार्ड पंच कानसिंह से मिलीभगत कर अनैतिक प्रभाव में आकर गलत रूप से पट्टा जारी किया, जो कि काबिल खारिज है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि वर्ष 1995 में भी 2,00,000/–रू० से ऊपर कीमत थी। यदि निलामी में भूखण्ड विक्रय किया जाता तो पंचायत को काफी आय होती मगर विपक्षी सं0 1 ने कानसिंह वार्ड पंच से मिलीभगत कर प्रश्नगत पट्टा कानसिंह की पत्नी विपक्षी सं0 2 के नाम पट्टा जारी कर लिया। इस सार्वजनिक कुंए की भूमि को स्वयं की निजी कब्जा होने की बात गलत बताई है, तथा जो साक्षी/गवाहों के हस्ताक्षर शपथ पत्र कराये वो विपक्षी सं0 2 के खेतों पर मजदूरी तथा घर पर काम करने वाले व्यक्ति है तथा प्रश्नगत पट्टे के भूखण्ड से करीब एक किलोमीटर दूर रहते है। उक्त पट्टे की कार्यवाही विपक्षीगण ने मिलीभगत कर पंचायत की बेशकीमती भूमि को हड़पने के उद्देश्य से कराई है जो काबिल खारिज है। विपक्षी सं0 2 के ग्राम उमठी में दो आवासीय मकान है जिसमें से एक मकान देवा व मूला रेबारी के मकान के पास तथा दूसरा मकान शंकर रेबारी के पास है। विपक्षी सं0 2 ने गलत रूप से स्वयं की निजी भूमि नहीं होने का झूठा कथन करते हुए गलत पट्टा प्राप्त किया है। प्रशनगत पट्टे को देखते ही स्पष्ट है कि सार्वजनिक कुंए की भूमि को किस प्रकार नाजायज लाभ प्राप्त करने एवं पंचायत की बेशकीमती भूखण्ड (भूमि) को बिना निलाम किये किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए निर्मित की गई है। विपक्षी सं0 2 ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया वह गलत एवं सुंठा शपथ पत्र प्रस्तुत

न्यायालय जिला कलक्टर

किया है। विपक्षी सं0 2 ने यह कथन किया है कि उसके अथवा उसके परिवार को पूर्व में ग्राम पंचायत पिपलांत्री द्वारा कोई भूखण्ड आवण्टन नहीं किया गया है, जबकि विपक्षी सं0 2 के पति कानसिंह ने इससे पूर्व ही दो तीन पट्टे ग्राम पंचायत पिपलांत्री से प्राप्त कर रखे है, ग्राम पंचायत पीपलांत्री में गलत जानकारी देकर प्रश्नगत पट्टा प्राप्त किया, वह अवैद्य व गलत है। विपक्षीगण ने मिलीभगत कर ग्राम उमठी की सार्वजनिक उपयोग के कुंआ जो ग्रामवासियों तथा मवेशियों के लिए जल का स्त्रोत है। जहां प्रार्थी एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा पानी भरा जाता है तथा मवेशी पानी पीते है। सार्वजनिक कुंए की भूमि के स्वयं की निजी कब्जा की भूमि बता विपक्षी सं0 2 के पक्ष में प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है, जिससे प्रार्थी प्रभावित व पीड़ित पक्षकार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी सं0 1 के द्वारा विपक्षी सं0 2 के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 01 दिनांक 10.12.1995 जारी किया है, को निरस्त फरमाया जावे तथा ग्राम उमठी की सार्वजनिक कुड़ी (कुएं) की पूर्व स्थिति कायम कराई जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हाकिम चुड़ीघर उपस्थित किन्तु वक्त बहस अनुपस्थित तथा अप्रार्थी 02 संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुड़ावत द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थित दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने मौखिक बहस न कर लिखित बहस पेश करने हेतु निवेदन किया किन्तु बार–बार न्यायालय द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु अवसर देने के उपरान्त भी उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नही की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के लिखित बहस प्रस्तुत नही करने पर पत्रावली के गुणावगुण पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में निगराकार ने ग्राम पंचायत पीपलांत्री द्वारा रा0पं0 एवं न्याय उप0 सं0 नियम 1961 के नियमो के तहत श्रीमती समन्दर बाई पत्नि कानसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 10.12.1995 के विरूद्ध निगरानी याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की है कि ग्राम पंचायत पीपलांत्री ने ग्राम उमठी की किस्म सार्वजनिक कुंए की भूमि को श्रीमती समन्दर बाई पत्नि कानसिंह की भूमि बताते हुए प्रश्नगत पट्टा जारी किया।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं संलग्न समस्त दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया। ग्राम पंचायत पीपलांत्री द्वारा जारी पट्टे के अवलोकन पर पाया कि विपक्षी श्रीमती समन्दर बाई पत्नि कानसिंह को जारी पट्टे में यह वर्णित किया गया कि कब्जाशुदा मकान व मोहल्ला अन्दर हल्का आबादी उमठी में प्रार्थीनी का स्वयं का निजी मकान बना हुआ हैं तथा उक्त पट्टा कोरम प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 10.12.95 के अनुसरण में बनाया गया हैं। निगराकार द्वारा अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को सिद्ध करने का दायित्व अधिवक्ता निगराकार का था परन्तु अधिवक्ता निगराकर द्वारा निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज

न्यायालय जिला कलक्टर

प्रस्तुत नही किये गये। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत पट्टा लगभग 30 वर्ष पूर्व जारी किया गया था तथा 30 वर्षो के असाधारण विलम्ब के लिए भी निगराकार द्वारा कोई साक्ष्य/आधार प्रस्तुत नही किये। अतः निगराकर द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

13/1/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)